



कर्मचारी चयन आयोग/ Staff Selection Commission
वेबसाइट/Website: www.ssc.gov.in
हेल्पलाइन नम्बर/Helpline No: 1800-309-3063
ई-मेल आई डी/Email Id: helpdesk-ssc@ssc.nic.in

Zone: NR

ई-प्रवेश प्रमाणपत्र / e-ADMISSION CERTIFICATE

सीएपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी), असम राइफल्स में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही परीक्षा, 2025
Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs) and SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles, and Sepoy in Narcotics Control Bureau
Examination, 2025

अनुक्रमांक Roll Number	2201055836	रजि. सं. Registration No	10012068396	
परीक्षा के लिए पासवर्ड Password for Examination	20122004	भाषा Language	Hindi	
प्रतिपूरक समय के लिए पात्रता Eligible for Compensatory Time	NA	पहचान के निशान Identification Mark	CUT ON KNEE	
उम्मीदवार का नाम / Candidate's Name	उम्मीदवार का नया नाम / Candidate's New Name		लिंग/ Gender	
VIPIN KUMAR			Male	

जन्म तिथि / Date of Birth	श्रेणी / Category	विषय / Subject	स्क्राइब विकल्प / Scribe Option	
20/12/2004	SC	NA	NA	

उम्मीदवार का पता / Candidate's Address	
CHIPYANA KHURD URF TIGRI GAUTAM BUDDHA NAGAR UTTAR PRADESH Gautam Buddha Nagar 201009 - Uttar Pradesh	2201055836

परीक्षा की तिथि और समय / Date & Time of Examination	उपस्थित होने का समय / Reporting Time	प्रवेश बंद होने का समय / Entry Closing Time
06/02/2025 (Shift-III) 03:00 PM to 04:00 PM	01:45 PM	02:30 PM

परीक्षा केन्द्र / Examination Venue
14403 - Indraprastha Public School, A-3, Rajeev Nagar, Begumpur opp. Rohini Sec-22, New Delhi, Delhi, India, 110086

(परीक्षा स्थल पर निरीक्षक की उपस्थिति में भरा जाना है)/(TO BE FILLED IN THE EXAMINATION VENUE IN THE PRESENCE OF INVIGILATOR)

लॉगिन के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन पर "Other Important Instructions" में लिखे प्रमाणन व्यक्तव्य को अपनी हस्तलिपि में लिखें और अपने हस्ताक्षर करें।
After login, write the certification statement shown on Computer Screen under "Other important instructions" in your own hand writing and put your signature

कृपया अपनी माता का नाम लिखें/
Please write your Mother's Name

(केंद्र पर्यवेक्षक के सील/हस्ताक्षर) (Seal/Signature of Venue Head)	(उम्मीदवार के हस्ताक्षर) (Signature of the Candidate) (आवेदन पत्र पर किये गये हस्ताक्षर के समान) (in same style as in application form)	उम्मीदवार के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान Left Hand Thumb Impression of the Candidate	निरीक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर Name & Signature of the Invigilator
--	--	---	--

Please read the instructions carefully. However, the same need not to be carried into the examination venue.

COMMISSION STAFF SELECTION COMMISSION STAFF SELECTION COMMISSION STAFF SELECTION COMMISSION STAFF SELECTION COMMISSION

- COMMISSION STAFF SELECTION COMMISSION**

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश /GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES

15. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान एक-दूसरे से बात भी नहीं करनी चाहिए।
Candidate should ensure that they do not indulge in any kind of unfair means. Candidates shall also not talk to each other during the complete period of examination.
16. अभ्यर्थी को हस्त चालित मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) के माध्यम से तलाशी और साथ ही शारीरिक टैपिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा।
Candidate shall have to undergo the process of frisking through Hand Held Metal Detector (HHMD) and also through body tapping
17. अभ्यर्थी को परीक्षा पदाधिकारियों (केन्द्र पर्यवेक्षक, निरीक्षक आदि) द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
Candidate must adhere to the instructions given by the examination functionaries (Center Supervisor, Invigilator, etc.).
18. अभ्यर्थियों को आयोग से संबंधित प्रवेशपत्र की प्रतिलिपि पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (LTI), प्रवाहपूर्ण हस्तलेख (RUNNING HANDWRITING) में प्रमाणन व्यक्तव्य और हस्ताक्षर सुनिश्चित करना चाहिए।
Candidate should ensure that they provide clear Left Thumb Impression (LTI), Certification Statement in their running handwriting and signature on Commission's Copy of Admission Certificate.
19. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करता है या परीक्षा स्थल पर गड़बड़ी करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार का अभ्यर्थी आयोग की भावी परीक्षाओं से वंचित होने के लिए भी उत्तरदायी होगा और उसके खिलाफ कानूनी/आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। ध्यान दिया जाए कि यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों के उकसाने के कारण परीक्षा में व्यवधान हुआ, तो परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी।
If any candidate is found obstructing the conduct of the examination or creating disturbances at the examination venue, his/her candidature shall be summarily cancelled. Such candidate shall also be liable to be debarred from future examinations of the Commission and legal/criminal proceedings could be initiated against him/her. It may be noted that no re-examination would be conducted if it is found that the examination was disrupted on account of instigation by the candidates.
20. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को टॉइलेट ब्रेक लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि आवश्यक हो तो वे पर्यवेक्षक की अनुमति से परीक्षा शुरू होने से पहले शौचालय जा सकते हैं।
During the actual conduct of examination, candidates will not be allowed to take toilet breaks. With the permission of Invigilator, they may ensure to visit the toilet, if required, before the start of the examination.
21. यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण या किसी अन्य कारण से परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती है या बीच में बाधित होती है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। समस्या का समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो आयोग उक्त मामले में उचित कार्रवाई करेगा व निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।
If the examination does not commence at the scheduled time or is interrupted midway due to any technical snag or for any other reason, candidates should follow the instructions of the exam functionaries. They may have to wait patiently till the issue is suitably addressed and resolved. The Commission would take an appropriate action and decision in the matter which would be final and would be binding on candidates in case the exam could not be completed.
22. अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी कारण से परीक्षा में व्यवधान, जैसे-गम्भीर/मामूली तकनीकी बाधा या सर्वर की धीमी गति/ सर्वर का संपर्क न रहना आदि की स्थिति में उनके परीक्षा के समय की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, जिसके वे हकदार हैं।
Candidates are assured that in case of disruption of examination for any reason such as major/minor technical snag or slow speed of server/breakdown of server etc. they will not, under any circumstances, lose the examination time to which they are entitled.
23. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें परीक्षा के दौरान कोई अनियमितता दिखाई देती है तो वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/ आयोग को इसकी सूचना दें। ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
Candidates are advised to report to the concerned Regional Office of Commission, in case they notice any irregularity during conduct of examination. The identity of such candidates will be kept confidential.
24. यदि कोई अभ्यर्थी नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
If any candidate is found in inebriated state that candidate will not be allowed entry to the venue.
25. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के मामले में वे आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से या प्रवेश-पत्र में दर्शाए गए हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से संपर्क करें।
In case of any doubt or clarification, the candidates are advised to contact the concerned Regional Office of the Commission personally or through the Helpline Numbers as indicated in the Admission Certificate.